पत्रांक–5 / वृ०श०परि० (जुडको)–20 / 2026 / न०वि०आ० 45

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

स्वीकृत्यादेश

चारिक
प से
ामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
महालेखाकार का कार्यालय
पो०–डोरण्डा, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार

राँची, दिनांक– 22/07/26

विषय:–वित्तीय वर्ष 2026–27 में पलामू जिला अन्तर्गत Construction of Municipal Building at Medininagar Nagar Nigam योजना हेतु कुल राशि 24,70,50,200/- रूपये (चौबीस करोड़ सत्तर लाख पचास हजार दो सौ रू०) मात्र की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची द्वारा पलामू जिला अन्तर्गत Construction of Municipal Building at Medininagar Nagar Nigam योजना हेतु कुल राशि 24,70,50,200/- रूपये (चौबीस करोड़ सत्तर लाख पचास हजार दो सौ रू० मात्र के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना हेतु M/s Mass N Void Design Consultants (A Pranav Group), New Delhi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसका मुख्य अवयव निम्नलिखित है:–

SL.	PARTICULARS	AMOUNT IN Rs.
1	BUILDING WORK	12,61,40,232.57
2	CCTV WORK	27,58,721.94
3	ELECTRICAL WORK	2,18,22,760.57
4	WATER SUPPLY, SANITATION AND FIRE FIGHTING WORK	1,46,65,294.71
5	AC WORK	71,39,822.76
6	FURNITURE WORK	1,62,56,098.10
7	SITE DEVELOPMENT AND BOUNDARY WALL WORK	68,40,997.62
	TOTAL (A)	**19,56,23,928.27**
	ADD GST @ 18% ON (A)	3,52,12,307.09
	TOTAL -(B)	**23,08,36,235.36**
	ADD LABOUR CESS @ 1% ON (B)	23,08,362.35
	ADD JUIDCO CENTAGE OVER A 7% UPTO 10 CR AND 5 % BETWEEN 10.00 CR TO 100.0 OCR	1,35,41,811.77
	ADD CONSULTANCY FEE	3,63,750.00
	GRAND TOTAL	**24,70,50,159.48**
	SAY	**24,70,50,200/-**

(चौबीस करोड़ सत्तर लाख पचास हजार दो सौ रू०)

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु मौजा–बैरिया, थाना संख्या–197, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–150, कुल रकबा–01 एकड़, किस्म/मालिकाना–नगर निगम भूमि का चयन किया गया है। यह भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4040 दिनांक–19.12.2005 के द्वारा मेदिनीनगर नगर निगम को हस्तांतरित की गयी है।

3. उक्त योजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं उतरोत्तर वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा:–

AS 22/02/26

क्र०	योजना कार्य	बजट शीर्ष
i	योजना कार्य	मुख्यशीर्ष–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–60–अन्य शहरी विकास योजनाएँ–लघुशीर्ष–051–निर्माण/789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (OSP/SCSP)–उपशीर्ष–51–वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना–उपयोजना शीर्ष–01–Major Urban Projects and Civic Infrastructure (24000906)–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–45–निर्माण कार्य। विपत्र कोड–48-S-4217-60-051/789-51-01-05-45
ii	परामर्शी सेवा	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमो को सहायता (OSP)–उपशीर्ष–38– शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान–00–शहरी स्थानीय निकायों में मास्टर प्लान, नगर विकास प्लान, DPR निर्माण एवं PMC सेवाएँ विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-38-00-06-79

4. इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सर्वश्री जुडको लिमिटेड द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा सर्वश्री जुडको लिमिटेड को राशि आवंटित किया जाएगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन की अवधि 18 माह होगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा जुडको लि० को निम्नरूपेन वित्तपोषण किया जाएगा:–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (प्रतिशत में)
i	2026-27	67%
ii	2027-28	33%

5. उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे तथा इस राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची से की जाएगी। निविदा निष्पादन के उपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु जुडको लिमिटेड, राँची से राशि आवंटन की अधियाचना किये जाने पर विभाग द्वारा राशि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि0) के पी०एल० खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त योजना का कार्यान्वयन जुडको लिमिटेड, राँची के द्वारा किया जाएगा। जुडको लिमिटेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासनिक स्वीकृत योजना का खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा (National Competitive Bidding) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वयन गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त योजना का कार्यान्वयन की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को हर माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–25.06.2026 को सम्पन्न बैठक में अनुशंसा की गयी है तथा माननीय योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/वृ०श०परि० (जुडको)–20/2026/न०वि०आ० 45 राँची, दिनांक– 22/07/26

प्रतिलिपि:– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/परियोजना निदेशक (तकनीकी /वित्त) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ajit/mu 26-27